भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1775

दिनांक 13.03.2013/ 22 फाल्गुन, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

यौन हिंसा के पीड़ितों हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन

1775. श्री डी० बंदोपाध्याय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान भारत में बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर कितनी-कितनी रही;
(ख) यदि यह दर कम थी तो इसके कारण क्या-क्या रहे; और
(ग) क्या सरकार सभी महानगरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू०एच०ओ०) के "यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए चिकित्सीय कानून परिचर्या संबंधी दिशा-निर्देशों" को कार्यान्वित करने पर विचार करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ चिकित्सीय साक्ष्य संग्रहण और पीड़ितों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के पैकेज हेतु दिशा-निर्देश सुझाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011 के दौरान बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर क्रमश: 26.4%, 26.6%, 26.9%, 26.6% और 26.4% है, जो 26% के लगभग बनी रही। वर्ष 2007-2011 की अवधि के दौरान बलात्कार के अन्तर्गत दर्ज मामलों, आरोपपत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, मामलों में दोषसिद्ध की दर, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप पत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक पर संलग्न है।

दोषसिद्धि की दर, अन्वेषणकर्ता एजेंसियों द्वारा अपर्याप्त और अकुशल जांच, उचित अन्वेषण संबंधी अवसंरचना की कमी, लंबी न्यायिक प्रक्रिया आदि जैसे अनेक कारणों से प्रभावित होती है।

.....2/-

गृह मंत्रालय को इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, गृह मंत्रालय ने दिनांक 04.09.2009 का एक विस्तृत परामर्शी पत्र सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से, देश में महिलाओं की सुरक्षा और उनके प्रति होने वाले अपराध पर नियंत्रण सुनिश्चित करने से संबंधित तंत्र की प्रभाविकता की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युकत परामर्शी पत्र के पैरा xvi, xvii और xviii में विशेष रुप से उल्लेख किया गया है कि:

5(xvi) बड़े मातृत्व-केन्द्र वाले सरकारी अस्पतालों में विशेषीकृत यौन उत्पीड़न उपचार यूनिटें स्थापित की जाएं।

5(xvii) राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभाग, उचित स्थानों पर 'रेप क्राइसिस सेन्टर' और विशेषीकृत 'यौन उत्पीड़न उपचार यूनिट' स्थापित करें।

5(xviii) स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित रेप क्राइसिस केन्द्र बलात्कार की पीड़िता की सहायता करेंगे तथा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय का उचित स्तर विकसित करेंगे, विधि-विज्ञान संबंधी साक्ष्य स्थापित करने के लिए मेडिकल जांच हेतु सुविधाएं मुहैया कराएंगे, यौन उत्पीड़न उपचार यूनिटें यौन उत्पीड़न के पश्चात पड़ने वाले प्रभाव को समाप्त करने के लिए मेडिकल सुविधाएं प्रदान करेंगी। इस प्रकार रेप क्राइसिस केन्द्र पीड़ितों और शामिल अन्य एजेंसियों के बीच कड़ी का कार्य करेगा।

*****